02/16 गंगा पु/ο संपत गा.9, खारा महेचान

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नमबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.6.17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार मे अटल सेवा केन्द्र खारा महेचान मे पेश हुई। अपीलण्टस अनु.। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस बाद तामिल शुदा प्राप्त हुईं। उतरदाता स.1 की ओर से जबाव पेश किया गया। जो शामिल मिसल हो। शेष उतरदाता बावजुद सुचना के हाजिर नही होने के कारण उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है। जिसमे पाया कि अपीलाण्टस की ओर से एक अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशंय का पेश किया गया,कि अपीलाण्टस एवं उरतदाता स.2 से 8 की पृतैक व पुश्तैनी भूमि ग्राम खारा महेचान तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 816 रकबा 17–15 बीधा भूमि आई हुई है। विवादित भूमि अपीलाण्टस एवं उतरदाता स.2 से 8 के पुर्वज खुमा वल्द जीवा की खातेदारी की आई हुई थी। मुतवफी खुमा के फोत होने पर विरासत का नामान्तकरण उसके वारिसान हरचन्द ,आईदान ,पुनमा व जेफा उर्फ गेफा के नाम दायर किया गया। अपीलाण्टस के पिता पुनमा के देहान्त होने पर विवादित भूमि का नामान्तकरण उतरदाता स.2 से 5 के पिता व पति पांचा एवं उतरदाता स.6 व 7 के पिता व पति गोविन्दा के नाम से पारित किया गया। जबकि उक्त नामान्तकरण मे उतरदाता के साथ अपीलाण्टस का भी नाम दायर किया जाना चाहिए था।लेकिन ऐसा नही करते हुए अपीलाण्टस को उसके हक हकूको से महरूम रखा गया। अपीलाण्टस द्वारा विवादित भूमि मे नाम दायर करवाने के लिए न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी मे वादपत्र पेश किया गया। जिसका ज्ञान उतरदाता स.2 से 5 को होने पर उन द्वारा दौराने विचारण वाद विवादित भूमि मे अपने हिस्से 1/28 से	

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

अधिक भूमि का बेचान उतरदाता स.9 को कर दिया। और उतरदाता स.1 ने बिना मौका जांच एवं बिना अपीलाण्टस को सुनते हुए एकरतफा कार्यवाही करते हुए विवादित भूमि के सबंध मे नामान्तकरण स.1016 पारित किया गया। जिसका उतरदाता स.1 को कोई विधिक अधिकार नही था। अतःउतरदाता स.1 की ओर से पारित किया गया विवादित भूमि के सबंध मे नामान्तकरण स. 1016 को निरस्त करवाने हेतु यह अपील पेश की गई है।

हमने अपीलाण्टस की अपील एवं सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावोजात एवं विवादित नामान्तकरण स.1016 का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमे पाया कि अपीलाण्टस की ओर से अपील मे मुख्य इस्तदुआ यह चाही गई,कि उतरदाता स.1 की ओर से रजिस्ट्रर्ड बेचानपत्र के आधार पर पारित नामान्तकरण स.1016 को निरस्त किया जावे।जो अपीलाण्टस की इस्तदुआ निराधार है। क्योकि ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्ट्रर्ड बेचानपत्र दिनांक 29.9.2014 के आधार पर केतागण के नाम कय की गई भूमि का नामान्तकरण स.1016 के जरिये नाम दायर किया गया। जो ग्राम पंचायत खारा महेचान द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुए नामान्तकरण पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई गलती नही की गई है। एवं इस न्यायालय को रजिस्ट्रर्ड एवं अन रजिस्ट्रर्ड दस्तावेजो के आधार पर हुई कार्यवाही पर सुनवाई किये जाने का विधिक अधिकार नही होकर सिविल न्यायालय को है। ऐसा ही इस प्रकरण मे उतरदाता स.2 से 5 द्वारा उतरदाता स.9 के पक्ष मे रजिस्ट्रर्ड बेचानपत्र के जरिये नामान्तकरण स.1016 पारित किया गया है।जिस पर यह न्यायालय सुनवाई नही कर सकता है। एवं अपीलाण्टस ने अपनी अपील मे यह भी स्वीकार किया है,कि विवादित भूमि के सबंध मे एक राजस्व वाद खातेदारी धोषणात्मक का न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी मे पेश किया गया। चुंकि विवादित भूमि के सबंध मे यदि वाद विचाराधीन होता है,तो उसी भूमि के सबंध मे अपील अलग से चल नही

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

सकती है। क्योकि अपील की कार्यवाही संक्षिप्त प्रोसेड़िंग मे आती है।अपील मे आदेश नामान्तकरण को मध्यनजर रखते हुए किया जाता है। जबकि वादपत्र मे दोनो पक्षो की ओर से साक्ष्य सबुतो एवं दस्तावेजो को मध्यनजर रखते हुए गम्भीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है।इस प्रकार यदि विवादित भूमि के सबंध मे मूल वाद विचाराधीन है,तो अपील चल नही सकती है। ऐसा ही इस प्रकरण मे हुआ है। क्योकि अपीलण्टस ने अपील मे वाद चलने का उल्लेख किया है। और इस न्यायालय को रजिस्ट्रर्ड बेचानपत्र के आधार पर पारित नामान्तकरण मे कोई हस्तक्षेप करने का विधिक अधिकार नही है। इस प्रकार अपीलाण्टस की अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

लिहाजा अपीलाण्टस की अपील सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण चलने योग्य नही होने के कारण खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 07/6/17 को मजमे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

07/6/17

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner